सूचना
बाबत नीलामी, वर्ष 2022-2023

वाह्य न्यायालय, लालगंज, (प्रतापगढ़) नवीन परिसर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु वाह्य न्यायालय, लालगंज, प्रतापगढ़ के नवीन परिसर की कैन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान, साइकिल स्टैण्ड की नीलामी स्थान वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा स्थित परिसर प्रतापगढ़ में दिनांक-**07.05.2022** को समय **02.30** बजे अपरान्ह होगी।

समस्त इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित आकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की निम्नलिखित शर्तें होंगी-

1. नीलामी में बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए **5,000/-रूपये** सिक्योरिटी के रूप में तुरन्त जमा करना होगा।
2. जिस व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक धनराशि की बोली बोली जायेगी, उसे कुल धनराशि का 1/3 भाग अग्रिम के रूप में तुरन्त जमा करना होगा।
3. नीलामी की प्रथम किस्त दुकान खोलते समय जमा करना होगा।
4. अन्तिम किस्त में अग्रिम के रूप में ली गयी धनराशि जो शुरू में जमा करायी जावेगी, समाहित कर ली जाएगी।
5. जिस व्यक्ति को दुकान नहीं मिल पाएगी उन्हें उनके द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तुरन्त वापस कर दी जावेगी।
6. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान व साइकिल स्टैण्ड के भौतिक स्वरूप को बिना किसी पूर्व अनुमति के परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
7. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान व साइकिल स्टैण्ड में लगे विद्युत संयोजन व उसके बिल का खर्चा कैन्टीन लेने वाले के द्वारा देय होगा।
8. न्यायालय परिसर में किसी भी अखाद्य पदार्थ जैसे, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान एवं मसाला इत्यादि का विक्रय नहीं किया जायेगा।
9. न्यायालय परिसर में घूम-घूम कर खाद्य पदार्थो या पेय पदार्थो का विक्रय नहीं किया जायेगा।
10. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान व साइकिल स्टैण्ड चलाने के फलस्वरूप न्यायालय परिसर में फैली गंदगी की सफाई की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11. कैंन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान व साइकिल स्टैण्ड चलाते समय यदि उसमें कार्यरत स्टाफ के साथ कोई दुर्घटना कारित होती है तो कैन्टीन संचालक उसका स्वयं उत्तरदायी होगा तथा न्यायिक संस्थान की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. खाद्य पदार्थ की बिक्री उचित दर पर की जायेगी
13. यदि कैन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान व साइकिल स्टैण्ड के संचालन के कार्यों से कैन्टीन के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी भरपाई कैन्टीन संचालक द्वारा न्यायालय प्रतिष्ठान को की जायेगी।
14. कैन्टीन, फोटो स्टेट की दुकान व साइकिल स्टैण्ड चलाने की संविदा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर ठेका रद्द किया जा सकता है।
15. ठेका 31 मार्च, 2023 तक प्रवर्तनीय रहेगा जो नीलामी की तिथि से प्रारंभ होगा।
16. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका धारक द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ठेका निरस्त करके या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसकी सम्पत्ति से कर देंगे।

दिनांक-26.04.2022

26/04/22

कुन्दन किशोर
(अध्यक्ष) नीलामी समिति/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं-5,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि जिला न्यायालय प्रतापगढ़ की वेब साइट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील प्रांगण, दीवानी न्यायालय के मेन गेट पर, बाजार में, नजारत कुण्डा (लालगंज) एवं नजारत प्रतापगढ़, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ कार्यालय में सूचनार्थ चस्पा की जाए तथा निःशुल्क प्रकाशन हेतु अखबार को भेजी जाय।